अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

324/19/225 भागीरथ बनाम प्रभुदेवी वगै.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

2019/00324

श्री भीमा राम लोधवाल श्री रमेश गुर्जर

भागीरथ बनाम प्रभु देवी वगैरह

20/9/19

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियटकर्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक उभयपक्ष की दिनांक 18.09.2019 को बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय आदेश दिनांक 24.06.2019 को जारी किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 05.08.2019 नियम की। प्रार्थी को एक पक्षीय आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 05.08.2019 के पश्चात आगामी पेशी दिनांक 24.09.2019 नियम कर दी। प्रार्थी को सर्व प्रथम वाद/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 01.09.2019 को हुई। प्रार्थी के अभिभाषक ने उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की विधिक राय दिये जाने पर दिनांक 03.09.2019 को प्रमाणित प्राप्त कर अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन की बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता भागीरथ अपीलांट के जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 विभाजन, घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद/अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखती। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता जिन्दा है तो वाद वर्णित भूमि में तथाकथित हिस्से बाबत् कोई दादरसी न्यायालय से प्राप्त करने की अधिकारिणी नही है ऐसी स्थिति में अपीलांट खातेदार काबिज काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 01ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् प्रथम श्रेणी के वारिस एवं सहदायिकी सम्पति में विधिक अधिकार निहित होना सिद्ध नहीं किया है। वादिया–रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पुत्री आवश्यक है लेकिन विवादग्रस्त आराजी अपीलांट की स्वअर्जित होने से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वाद व प्रार्थना पत्र पोषणीन नही होने से खारिज योग्य है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरर्णीय क्षति के तथ्य प्रार्थी के पक्ष में निहित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.06.2019 की क्रियान्विति ताफैसला अपील स्थगित की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दिनांक 01.09.2019 को होना अंकित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में बाद तामील दिनांक 05.08.2019 को प्राप्त हो गये थे किन्तु उक्त दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय क पीठासीन अधिकारी दौरे पर रहने के कारण आदेशिका में अंकन नहीं किया गया है जिसका अपीलांट अनुचित फायदा उठाते हुए प्रार्थना पत्र की जानकारी दिनांक 01.09.2019 को होना अंकित किया है जो गलत है। अपीलांट को दिनांक 01.09.2019 को जानकारी हुई फिर भी अपील दिनांक 11.09.2019 को प्रस्तुत किया है अर्थात 10 दिवस का अपीलांट को इस प्रकार देरी हुई इस बाबत् प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र खारिज योग्य है। इसलिए खारिज किया जावे।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन जवाब बहस करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने के पश्चात् भी चाराजोही न करके न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

अन्तरिम स्थगन आदेश है जिसकी अपील न्यायालय हाजा में चलने योग्य नही है और मियाद बाहर प्रस्तुत की है इसलिए खारिज की जावें। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है चुँकि जहॉ प्रकरण पारिवारिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते है उसमें निश्चित तौर से अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। पुत्रियों का हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में पुत्रों के समान ही अधिकार प्राप्त है। इसलिए अपीलांट को प्रस्तुत अपील के माध्यम से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तरिम आदेश की विरूद्ध प्रस्तुत की जिसे खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने पक्ष में आर.बी.जे. (19) 2012 पेज 26, आर.बी.जे. (7) 2000 पेज 483, 1995 (2) आर.बी.जे. पेज 188, आर.बी.जे. (19) 2012 पेज 686 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमों व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को आगामी आदेशों तक विवादित आराजी को बेचान, हस्तातंरण/अन्तरण, नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 24.06.2019 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। चुँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वास्ते तलबी नोटिस अप्रार्थी संख्या 01से 5 हेतु नियत हैं तथा अप्रार्थी संख्या 01/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर आपत्ति प्रकट नहीं कर उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नही है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। न्यायहितं में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 60 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 60 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर